UPRN120001142020

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,भोगनीपुर कानपुर देहात ।

मु०नं०-22/2020

सरकार बनाम मो० आसिफ आदि ।

धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम

थाना-राजपुर ,कानपुर-देहात ।

आरोप

मैं , राशि तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात आप मो० आसिफ व मो० सुहेल को निम्नवत आरोपित करती हूँ ।

प्रथमतः यह कि दिनांक 14-12-2019 को समय 14.30 बजे बहद खोजारामपुर की पुलिया बेहमई थाना राजपुर कानपुर देहात के अन्तर्गत पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग के दौरान आप लोगों के कब्जे से कुल 20 गौवंश (सांड) जिसमें 6 सफेद सांड, 12 काले सांड, 01 लाल सांड जिन्दा व 01 सांड (गौवंश)सफेद मृत अवस्था में बरामद हुआ जिसे आप ट्रक नं० UP70AT2588 से ले जा रहे थे । इस प्रकार आप लोगों ने धारा3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतदद्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक 12-07-2023

(राशि तोमर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।
J.O.Code-UP2540

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की मांग की ।

दिनांक 12-07-2023

(राशि तोमर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।
J.O.Code-UP2540

Digitally signed by RASHI TOMAR
Date: 2023.07.13 12:48:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court